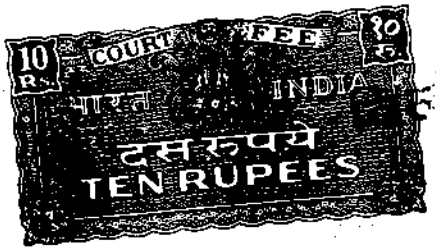

COURT FEE 10 Rs. १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 5 Rs. ५ रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

माननीय राजस्व मण्डल म०प्रदेश ग्वालियर,

प्रकरण क्रमांक- /07 रिव्यू

निग. 1839-I/07

1- देवीलाल पुत्र कालूराम

2- परमानन्द पुत्र भागीरथ

3- भेरूलाल पुत्र कादीराम

4- हीरालाल पुत्र हजारीलाल

5- वरदीचन्द पुत्र लादूराम मृतक वाद वारिसान

5(अ) धूलचन्द पुत्र वरदीचन्द आयु 58 वर्ष

5(ब) श्रीमती नन्दीबाई पत्नी वरदीराम आयु 98 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम बड़वन, तहसील व जिला मंदसौर, म0प्र0

------आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 20-11-07 को प्रस्तुत

20.11.07

अवर सचिव

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

20-11-07 A.K. Agrawal Adv

विरूद्ध

1- रामसुख पुत्र नन्दा जी

2- रामलाल पुत्र नन्दा जी

दोनो निवासीगण ग्राम बड़वन, तहसील व जिला मन्दसौर

------प्रतिप्रार्थीगण

पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश 31 जुलाई 2007 प्रकरण क्रमांक-1044ए/05 निगरानी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1839–एक/07 **जिला** मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–7–2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1041–एक/05 में पारित आदेश दिनांक 31–7–2007 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण की ओर से तर्को में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं बतलाई गई है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । अतः यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	